1. In the court of Abhishek K. Das. Sessions Judge, East Champaran at Motihari,
B.P. No. 605/2026, dt. 23.03.2026. Ashman Rai vrs. State of Bihar,

न्यायालय,सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

<u>जमानत आवेदन संख्या–605/2026</u>

उपस्थित :– अभिषेक कुमार दास
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी।

1. आसमन राय वल्द लोरिक राय उम्र करीब 43 वर्ष ग्राम–सिसवा बाजार टोला वार्ड नं0–2, थाना–रक्सौल, जिला–पूर्वी चम्पारण.....आवेदक ।

बनाम

बिहार सरकार .....विपक्षी ।

आवेदक की ओर से – श्री सुनील कुमार,विद्वान अधिवक्ता ।
अभियोजन की ओर से – श्री खूबलाल प्रसाद,
विद्वान लोक अभियोजक

आदेश

23.03.2026 काराधीन आवेदक/अभियुक्त आसमन राय की ओर से रक्सौल थाना कांड संख्या–455/2025, धारा–126(2),115(2),109, 303(2), 352, 351(2)/ 3(5) बी.एन.एस. के अन्तर्गत जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिसकी प्रति विद्वान लोक अभियोजक को प्रदान किया जा चुका है। आवेदक दिनांक 06.02.2026 से कारा में है।

अभियोजन घटना इस प्रकार है कि सूचक कृष्णा राय का कथन है कि दिनांक 21.10.2025 को वह और उसका भाई अरविन्द राय, कन्हैया राय, अर्जुन राय चारो भाई मेला देखने गए थे । मेला से जब वापस घर आ रहा था तो आसमन राय के घर के सामने के रास्ते से पार करने लगे तो आसमन राय बोलने लगा कि उसे सामने के रास्ते से जाने नहीं देंगे तथा गाली गलौज करने लगा गाली गलौज करते घर के अंदर से फरसा, गड़ासा लेकर आया और उसके सर पर मार दिया जिससे उसका सर फट गया। मारपीट देख कर घर के अन्दर से अमरीश राय, राजू राय, लालझरी देवी भाला, गड़ासी लेकर निकला और उसके भाई को मारने लगा जिससे उसके तीनो भाई का सर फट गया। बीच बचाव में उसकी मॉ पुनीता देवी आई तो आसमन राय ने उसकी मॉ के सर पर फरसा से

बार किया जिससे उसका सर फट गया। मारपीट के समय लालझरी देवी उसकी मॉ के गले से सोने का चैन कान की बाली, लौकेट एवं राजू राय उसके भाई अरविन्द के गले का सोने का चैन छीन लिया।

जमानत आवेदन की कंडिका–2 में कहा गया है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में अन्य कोई नियमित/अग्रिम जमानत आवेदन इस न्यायालय में या माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है, कंडिका–3 में कहा गया है कि आवेदक के विरूद्ध रक्सौल थाना कांड संख्या– 308/2014 दर्ज है इसके सिवाय अन्य कोई आपराधिक इतिहास दर्ज नहीं है तथा कंडिका–4 में कहा गया है कि आवेदक दिनांक 06.02.2026 से कारा में निरूद्ध है।

आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत आवेदन में कथन किया गया है कि आवेदक निर्दोष है, उसने आरोपित घटना को कारित नहीं किया है उसे जमीनी विवाद के कारण इस मामले में झूठा आरोपित किया गया है। धारा– 109, 303(2) बी.एन.एस. को छोड़कर शेष धाराएं जमानतीय है। आवेदक प्राथमिकी में नामित है लेकिन उसके विरूद्ध सूचक एवं अन्य को फरसा से सर पर मारने का स्पष्ट आरोप है लेकिन सभी जख्म साधारण प्रकृति का है, जिससे उक्त आरोप की पुष्टि नहीं होती है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है। अतः जमानत पर छोड़े जाने की प्रार्थना की गयी है।

विद्वान लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

उभय पक्षों को सुना। प्राथमिकी की सच्ची प्रमाणित प्रति एवं केस डायरी की अभिप्रमाणित प्रति का अवलोकन किया, जिससे प्रतीत होता है कि आवेदक प्राथमिकी में नामित अभियुक्त है । आवेदक के विरूद्ध अन्य अभियुक्तो के साथ मिलकर सूचक, उसके भाई एवं मॉ को भाला, फरसा, गड़ासी से सर पर मारपीट कर जख्मी कर देने का आरोप है। केस डायरी की कंडिका– 18 में जख्मी पुनीता देवी, कृष्णा राय, अरविन्द यादव एवं कन्हैया यादव का जख्म प्रतिवेदन अंकित है, जिसमें चिकित्सक की राय में जख्मी पुनीता देवी के सर पर शारीरिक हमला से सकिय रिसाव का कटा हुआ जख्म, गर्दन के बाए तरफ दर्द पाया गया है जिसे साधारण प्रकृति का बताया गया है। जख्मी कृष्णा राय के सर पर शरीरिक हमला से कारित 1,1/2″ x 1/2″x 1/4″ खून एवं दर्द सहित कटा हुआ जख्म पाया गया है, जिसे साधारण प्रकृति का बतलाया गया है, जख्मी अरविन्द यादव के सर पर शरीरिक हमला से कारित 1,1/2″ x 1/2″x 1/4″ खून

एवं दर्द सहित कटा हुआ जख्म, दाएं टेहुना एवं पैर में खरोच, गर्दन के बाएं तरफ दर्द होना पाया गया है, जिसे साधारण प्रकृति का बताया गया है। जख्मी कन्हैया यादव के बाएं केहुनी पर दर्द एवं सूजन पाया गया है तथा फैक्चार के कारण जख्म को गंभीर बताया गया है। अब उभय पक्षों के बीच मामला सुलह हो गया है तथा उभय पक्षों की ओर से हस्ताक्षरित अंगूठे के निशान से समर्थित फोटोयुक्त सुलहनामा आवेदन एवं सुलह करने हेतु अनुमति आवेदन दाखिल किया गया है, जिसे उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अभिप्रमाणित किया गया है। कांड दैनिकी की कंडिका– 65 के अनुसार आवेदक के विरूद्ध रक्सौल थाना कांड संख्या–95/2025 दर्ज है। आवेदक दिनांक 06.02.2026 से कारा में है।

अतः उपरोक्त तथ्यों, प्राथमिकी में आवेदक के विरूद्ध आरोप की प्रकृति, उभय पक्षों के बीच स्थापित मधुर संबंध एवं आवेदक के कारा अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक/अभियुक्त आसमन राय की ओर से दाखिल जमानत आवेदन को स्वीकृत किया जाता है तथा आवेदक/अभियुक्त द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में मो0 10000/–रु. के बंध–पत्र एवं इतने ही राशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर विद्वान अधीनस्थ न्यायालय के संतोषप्रद समाधान पर इस शर्त के साथ मुक्त किए जाने का आदेश दिया जाता है कि आवेदक अनुसंधान में सहयोग करेंगे।

लेखापित

ह0/–
सत्र न्यायाधीश,
पूर्वी चम्पारण,मोतिहारी।
दिनांक 23.03.2026